

न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :- श्री प्रदीप सिंह सांगावत, आर. ए. एस.

अपील संख्या:- 91 / 2012 (223 आर. टी. एक्ट)

आरसीएमएस संख्या :- 2012 / 00034

उनवान

1. दौजी पुत्र भरत सिंह
 2. मोहन सिंह पुत्र दुर्ग सिंह
 3. प्रकाश पुत्र दुर्ग सिंह
- जाति ब्राह्मण निवासी बुराना, तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.....अपीलाण्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार।
2. जिला कलक्टर, भरतपुर।
2. तहसीलदार रूपवास जिला भरतपुर।

.....रैस्प0

अपील विरुद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय सहायक कलक्टर, उच्चैन दिनांक 25.10.2012 मि.नं. 39 / 2012 उनवानी दौजी बनाम सरकार।

उपस्थिति:-

1. श्री दिनेश शर्मा वकील अपीलांट।
2. श्री मोहन सिंह राणा राजकीय अभिभाषक।

निर्णय

दिनांक-17.06.2019

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर, उच्चैन के निर्णय व डिक्री दिनांक 25.10.2012 के विरुद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 60 रकवा 4.15 बीघा राजस्व रिकार्ड में संवत 2009 से पहले से लेकर संवत 2044 तक बतौर साकिन देह शिकमी दर्ज होती चली आयी है तथा आज तक अपीलाण्ट/वादी मौके पर बतौर खातेदार

काश्तकार काबिज आराजी चला आ रहा है। विवादित भूमि पहले कस्टोडियन के रूप में दर्ज विवादित आराजी कभी भी कस्टोडियन की शकल में नहीं रही है। राजस्व कर्मियों से शिकमी के आधार पर खातेदारी का इन्द्राज करने की कहने पर, उन्होंने मना कर दिया। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजीयात में मौजूदा रिकार्ड में हो रहे कस्टोडियन या अन्य सरकारी इन्द्राज को कलमजद करके अपीलाण्ट/वादी को खातेदार काश्तकार करते हुये, उनके नाम खातेदारी का इन्द्राज किये जाने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट/वादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपील मीमो को ही बहस कथन करते हुए, अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य की विवेचना कानूनी तौर पर नहीं करते हुये, मनमाने तौर पर पारित अपीलाधीन निर्णय को निरस्त किया जाकर अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।
4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय विधि अनुरूप सही है। अपीलाण्ट अपने दावे को साबित करने में सफल नहीं हुये हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ण तथ्यों की जाँच एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य की विस्तार से विवेचना की जाकर, अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमें हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं रहती है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।
5. वक्त बहस अपीलाण्ट के योग्य अभिभाषक ने अपील मीमो को ही बहस मानने का आग्रह किया। अपील मीमो में मात्र यही कहा गया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने तौर पर बिना साक्ष्यों की विवेचना किये दावा खारिज किया है। जबकि अपीलाण्ट ने अपने दावे को अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से भलीभाँत सिद्ध किया था। परन्तु अपीलाण्ट द्वारा अपील मीमो में स्पष्ट नहीं किया गया है कि उक्त कथन अपीलाण्ट किन तथ्यों व तर्कों के आधार पर कर रहा है।
6. हमने पत्रावली एवं अपीलाधीन आदेश का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया एवं बहस उभयपक्ष पर मनन किया। वादी विवादित भूमि को संवत 2009 के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी से लेकर संवत 2044 तक के राजस्व रिकार्ड में अपने पूर्वज बल्लाराम, भरत सिंह, दौजी, दुर्गा के साकिन देह शिकमी के इन्द्राज के आधार पर, पूर्वजों की मृत्यु के पश्चात् स्वयं का विवादित आराजी पर निरन्तर कब्जा काश्त व विरासत के आधार पर, विवादित

आराजी के राजस्व रिकार्ड में हो रहे "मकबूजा सरकार कस्टोडियन" के इन्द्राज को कलमजद कर स्वयं को खातेदार काश्तकार घोषित करने का दावा करते हैं। परन्तु वादी/अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में संवत् 2009 के बाद का कोई राजस्व रिकार्ड यथा जमाबन्दी, खसरा गिरदावरी आदि प्रस्तुत नहीं की हैं, जिससे यह साबित होता हो कि वादी/अपीलाण्ट के पूर्वज विवादित आराजी पर कभी शिकमी की हैसियत से काबिज काश्त रहे हों। इसके अतिरिक्त अपीलाण्ट/वादी के पास भरपूर अवसर था, कि वह अपने दावे के पक्ष में सुसंगत अभिलेख पेश करते। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में उनके समक्ष प्रस्तुत हुए अभिलेख की विस्तार से विवेचना की जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलाण्ट को कम से कम, अपने तर्कों के समर्थन में, यह अभिलेख अपनी अपील/दावों के पुष्टि में, हस्तगत अपील में प्रस्तुत करने चाहिए थे, जो नहीं किये गये हैं। वर्ष 2012 से विचाराधीन अपील में अपीलाण्ट/वादी की ओर से मात्र यह तर्क किया गया है कि पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड के आधार पर विधि अनुरूप निर्णय किया जावे। चूंकि पत्रावली पर अपीलाण्ट के दावों के समर्थन में कोई अभिलेख नहीं है। लिहाजा हम अपील खारिज करने को विवश हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाइश शेष नहीं पाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने उचित रूप से साक्ष्य के अभाव में अपीलाण्ट/वादी का दावा खारिज किया है। लिहाजा अपील अपीलाण्ट सारहीन होने के कारण खारिज योग्य है।

7. अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर के निर्णय व डिक्री दिनांक 25.10.2012 यथावत रखें जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ़तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस भिजवाया जावे।
8. निर्णय आज दिनांक 17.06.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते (प्रदीप सिंह सांगावत)

आर.ए.एस.

भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

Web Copy - Not Official